

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, दिनांक 02 जनवरी, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 83 पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रतम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
?	2
83	प्लास्टिक फुटवियर जिनका अधिकतम फुटकर मूल्य तीन सौ रुपये से अधिक हो।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।